

## प्रेस-नोट दि0-04.10.2024, जनपद प्रतापगढ़

### थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़

लूट, हत्या करने का प्रयास, लोकसेवक पर हमला करना व सरकारी कार्य में बाँधा डालना, गुण्डा एक्ट व गैंगस्टर एक्ट, जैसे जघन्य अपराधों में संलिप्त 02 गैंगस्टर गिरफ्तार

एसपी डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में गैंगस्टर एक्ट के 02 अभियुक्त गिरफ्तार

एसपी पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में गैंगस्टर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा दी जा रही थी दबिश

एसपी डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में गैंगस्टर एक्ट के 02 अभियुक्त गिरफ्तार

गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त की सुरागरसी पतारसी/ निगरानी आरक्षी बौबी चौधरी थाना बाघराय द्वारा की जा रही थी आरक्षी बौबी चौधरी के अथक प्रयास से गैंगस्टर संदीप सिंह व गैंगस्टर राव वीरेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया गया

आरक्षी बौबी चौधरी के सराहनीय कार्य के लिये पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ महोदय द्वारा आरक्षी बौबी चौधरी को प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया गया

लूट, हत्या करने का प्रयास, डियूटी के दौरान लोकसेवक पर हमला करना व सरकारी कार्य में बाँधा डालना, गुण्डा एक्ट व गैंगस्टर एक्ट जैसे अन्य आपराधिक कृत्य जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त है अपराधी

गैंगस्टर संदीप सिंह व गैंगस्टर राव वीरेन्द्र सिंह उपरोक्त पर जनपद प्रतापगढ़ के थाना सांगीपुर, थाना कंधई, थाना लालगंज में गम्भीर धाराओं अभियोग अभियोग पंजीकृत है

थाना बाघराय पुलिस द्वारा थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत जेठवारा- कुण्डा मार्ग नहर पुलिया के पास से अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

प्रतापगढ़ । गैंगस्टर एक्ट के तहत पंजीकृत अभियोग में वांछित गैंगस्टर की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान् पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा दिये सख्त निर्देश एवं अपर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी श्री संजय राय व

क्षेत्राधिकारी सदर श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल मार्गदर्शन/पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बाघराय के नेतृत्व में थाना बाघराय पुलिस टीम द्वारा क्षेत्रान्तर्गत प्रभावी चेकिंग व अभियुक्त के संभावित स्थानों पर वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जानकारी कर दबिश दी जा रही थी।

इसी क्रम में दिनांक 04.10.2024 को क्षेत्राधिकारी सदर श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना बाघराय प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार मय हमराह व0उ0नि0 जिलेदार पाल, उ0नि0 श्री विकास प्रधान, उ0नि0 गौरव प्रताप सिंह, कां0 अमरजीत सिंह, का0 परविन्द्र कुमार, कां0 राहुल शर्मा, कां0 बोबी चौधरी, चालक हे0का0 राजाराम सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र, वाहन चेकिंग, विवेचना के दौरान मुखबिर के सूचना पर थाना लालगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 17/2017 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 में वांछित गैंगस्टर 1- (गैंग लीडर) राव वीरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 बट्टी सिंह निवासी बेलहा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़, गैंगस्टर 2- संदीप सिंह पुत्र स्व0 ददन सिंह निवासी बेलहा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को जेठवारा- कुण्डा मार्ग नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

पूर्व का घटना क्रम-

दिनांक 26.12.2016 को आरोपीगणों द्वारा न्यायालय रूम में तहसीलदार के रूम में घुसकर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की नियत से तहसीलदार का गला दबोचना, मारपीट करना, जान से मारने की धमकी दी गयी। लोकसेवक तहसीलदार के न्यायिक कार्यों में बाँधा डालकर सरकारी कार्य बन्द करा देना। इस माहौल से न्यायालय परिसर में अफरा तफरी पैदा करने के सम्बन्ध में थाना लालगंज पर मु0अ0सं0- 775/16 धारा 147, 148,149,186,307, 323,332, 353,506 भादवि व धारा 7 सीएलए एक्ट व धारा 3(1)5 एससीएसटी एक्ट बनाम 1- राव वीरेन्द्र सिंह, 2- विकास मिश्रा, 3- संदीप सिंह, 4- आशिफ अली पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण एवं आपराधिक इतिहास-

गैंगस्टर 1- (गैंग लीडर) राव वीरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 बट्टी सिंह निवासी बेलहा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

01- मु0अ0सं0- 392/17 धारा 147,148,149,323,504,506,452,427,307,392,286 भादवि व धारा 3(1)5 एससीएसटी एक्ट थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

02- मु0अ0सं0- 46/16 धारा 143,147,149,323,504,506,334,427,332,353 भादवि व धारा 3(1)5 एससीएसटी एक्ट व धारा 7 सीएलए एक्ट थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

03- मु0अ0सं0- 592/16 धारा 188,286 भादवि व धारा 30 ए0एक्ट थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

- 04- मु0अ0सं0 775/16 धारा 147,148,149,186,307,323,332,353,506 भादवि व धारा 7 सीएलए एक्ट व धारा 3(1)5 एससीएसटी एक्ट थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
- 05- मु0अ0सं0- 13/17 धारा 3(1)यू0पी0 गुण्डा एक्ट थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
- 06- मु0अ0सं0 17/2017 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
- 07- मु0अ0सं0 20/17 धारा 110जी गुण्डा एक्ट थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
- 08- मु0अ0सं0-एनसीआर 13/17 धारा 188भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।
- 09- मु0अ0सं0- 98/17 धारा 143,153,186,188,189,341 भादवि व धारा 7 सीएलए एक्ट

गैंगस्टर 2- संदीप सिंह पुत्र स्व0 ददन सिंह निवासी बेलहा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

- 01- मु0अ0सं0 775/16 धारा 147,148,149,186,307,323,332,353,506 भादवि व धारा 7 सीएलए एक्ट व धारा 3(1)5 एससीएसटी एक्ट थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
- 02- मु0अ0सं0 17/2017 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
- 03- मु0अ0सं0 185/21 धारा 174ए भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
- 04- मु0अ0सं0 282/16 धारा 313,419,420,506 भादवि थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम:-

प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार मय हमराह व0उ0नि0 जिलेदार पाल, उ0नि0 श्री विकास प्रधान, उ0नि0 गौरव प्रताप सिंह, कां0 अमरजीत सिंह, का0 परविन्द्र कुमार, कां0 राहुल शर्मा, कां0 बोबी चौधरी, चालक हे0का0 राजाराम सिंह थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ ।

## **थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़**

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा दुष्कर्म , धमकी, मारपीट गाली गलौज व 3 /4 पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत बैंक आफ बडौदा सराय आना देव हैण्ड पम्प के पास से किया गया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत वादिनी की पुत्री के साथ दुष्कर्म , धमकी देने, मारपीट/गाली गलौज करने के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात में अन्तर्गत धारा 64,75,76,115(2),352,351(2) बीएनएस व 3 /4 पॉक्सो एक्ट बनाम 01 नामजद अभियुक्त का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक(पूर्वी) दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर शिव नारायण वैश के कुशल पर्वेक्षण में थाना कोतवाली देहात प्रभारी निरीक्षक अभिषेक सिरोही के नेतृत्व में उ०नि० राज नारायण नायक मय हमराह कां० राजेश खरवार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर दिनांक 03.10.2024 को अन्तर्गत धारा 64,75,76,115(2),352,351(2) बीएनएस व 3 /4 पॉक्सो एक्ट थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त प्रमोद सरोज उर्फ गुण्डा पुत्र रामबहादुर सरोज निवासी सराय आना देव थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत बैंक आफ बडौदा सराय आना देव हैण्ड पम्प के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

प्रमोद सरोज उर्फ गुण्डा पुत्र रामबहादुर सरोज निवासी सराय आना देव थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ०नि० राज नारायण नायक मय हमराह कां० राजेश खरवार थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ ।

## **थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़**

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज के उ०नि० अमित कुमार सिंह मय हमराह का० देवेन्द्र सिंह, म०कां० प्रियंका कुशवाहा, कां० चालक आशिष कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर केस नं०-6142/04 धारा-325, 323, 504 भादवि० से संबंधित वारण्टी अभियुक्त दशरथ पुत्र रामअवतार निवासी ग्राम द्वारिका थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त का विवरण- दशरथ पुत्र रामअवतार निवासी ग्राम द्वारिका थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम- उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह का0 देवेन्द्र सिंह, म0कां0 प्रियंका कुशवाहा, कां0 चालक आशिष कुमार थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

## **थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़**

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज के निरीक्षक शशिकान्त यादव मय हमराह का0 मनोज यादव, कां0 पंकज यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0 322/24 धारा 69/351(2)बीएनएस व 67 आईटी एक्ट से संबंधित वारण्टी अभियुक्त इमामुद्दीन पुत्र अलीरजा निवासी ग्राम ढेमा थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत प्रतापगढ़ रोड़ से गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त का विवरण-

01- इमामुद्दीन पुत्र अलीरजा निवासी ग्राम ढेमा थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

निरीक्षक शशिकान्त यादव मय हमराह का0 मनोज यादव, कां0 पंकज यादव थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

## **थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़**

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में प्रतापगढ़ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही जारी,

एएसपी(पश्चिमी) एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में थाना लालगंज पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना लालगंज पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत नयापुरया(बेल्हा) नहर पुलिया के पास से अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्त आमिर उर्फ गोलू के कब्जे से 05 अदद देशी बम बरामद किये गये

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक(पश्चिमी) संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज रामसूरत सोनकर के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक लालगंज नीरज कुमार यादव के नेतृत्व में उ०नि० ज्ञानचन्द्र तिवारी मय हमराह का० रवीन्द्र कुमार चौधरी, कां० छत्रपाल, कां० विपिन कुमार यादव, का० दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनों की चेकिंग, रात्रि गश्त के दौरान दिनांक 04.10.2024 को 05 अदद देशी बम के साथ 01 अभियुक्त आमिर उर्फ गोलू पुत्र मो० इस्लाम निवासी ग्राम मदनगढ़ बेलहा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के नयापुरया(बेलहा) नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त अभियुक्त आमिर उर्फ गोलू पुत्र मो० इस्लाम निवासी ग्राम मदनगढ़ बेलहा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ के कब्जे से 05 अदद देशी बम बरामद किया गया । बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 424/2024 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अभियुक्त आमिर उर्फ गोलू पुत्र मो० इस्लाम निवासी ग्राम मदनगढ़ बेलहा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी- 05 अदद देशी बम बरामद ।

आपराधिक इतिहास:-

अभियुक्त आमिर उर्फ गोलू पुत्र मो० इस्लाम निवासी ग्राम मदनगढ़ बेलहा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

1. मु०अ०सं० 530/21 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।
2. मु०अ०सं० 742/22 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।
3. मु०अ०सं० 286/22 धारा 5/8 गोवध निवारण अधिनियम, धारा 323,504,506 भादवि थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।
4. मु०अ०सं० 36/23 धारा 411,419,420,467,468,471,भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० ज्ञानचन्द्र तिवारी मय हमराह का० रवीन्द्र कुमार चौधरी, कां० छत्रपाल, कां० विपिन कुमार यादव, का० दुर्गा प्रसाद यादव थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।